अपील संख्या 55/2018 एल आर एक्ट
अनवान साले मोहम्मद बनाम स्टेट, वगैरह

.तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
28—01—2019	पत्रावली क्षेत्राधिकार के आदेश बाबत प्रस्तुत हुई। जिस पर दिनांक 22.1.2019 को बहस सुनी जाकर आदेश रिजर्व किया गया था। अभिभाषक अपीलान्ट श्री तनवीर अली अनुपस्थित एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्ट श्री तनवीर अली बहस के दौरान अनुपस्थित रहने पर राजकीय अभिभाषक की क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा पेश सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा नगर पालिका द्वारा बनाई गई नाली को तोड़कर व नाली को अवरूद्व कर सड़क पर चौकी बनाकर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट द्वारा शिकायत की गई। जिला कलक्टर चूरू द्वारा अतिक्रमण की मौके पर निष्पक्ष जांच नही करवाई गई। आयुक्त नगर परिषद द्वारा भी मौके की स्थिति को जिला कलक्टर चूरू के सामने सफाई निरीक्षक द्वारा स्पष्ट नही किया गया तथा अतिक्रमण के बारे में तथ्यात्मक रिर्पोट पेश नही की गई। सफाई निरीक्षक नगर पालिका सुजानगढ द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा किये गये कब्जे को अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है, नगर परिषद द्वारा उक्त अतिक्रमण को तोड़ने का आदेश भी किया गया इन सब तथ्यो को जिला कलक्टर चूरू द्वारा नजरअंदाज कर अपीलान्ट की शिकायत को दिनांक 9.11.17 को ड्रॉप कर दी गई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर जिला कलक्टर चूरू द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 9.11.17 को निरस्त फरमाया जावे एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा सरकारी नाली तोड़कर सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के आदेश फरमावे तथा दोषी कर्मचारियो के विरूद्व कार्यवाही करने के आदेश फरमाये जाने का भी निवेदन किया गया हे। राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कंहा कि ....लगातार..................................	

राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में किस धारा के अन्तर्गत पेश की है कुछ लिखा नही हे अपीलान्ट द्वारा एक अतिक्रमण की शिकायत की गई थी जिसको सदस्य सचिव जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति चूरू द्वारा इस प्रकरण को ड्रॉप करने का आदेश दिया गया है। सदस्य सचिव जिला जन अभियोग एवं सतर्कता सिमिति चूरू द्वारा जारी किये गये आदेश की अपील इस न्यायालय मे नही हो सकती है। अतः अपीलान्ट की अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

हमने राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं सम्पूर्ण मामले तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया।

इस मामले मे मुख्य विवाद नाली पर अतिक्रमण करने पर की गई शिकायत के संबध में है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के खिलाफ एक नाली को तोड़कर उस पर अतिक्रमण करने की शिकायत की है, जिस पर सदस्य सचिव जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति चूरू द्वारा बैठक आयोजित कर तथा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से दिनांक 9.11.17 को इस प्रकरण को ड्रॉप करने का आदेश दिया जो एक प्रशासनिक कार्यवाही थी। अपीलान्ट ने इस न्यायालय में सदस्य सचिव जिला जन अभियोग एव सतर्कता समिति चूरू के कार्यालय के आदेश दिनांक 9.11.17 के विरूद्व किस धारा के अन्तर्गत अपील पेश की, अपील मीमो में कुछ उल्लेख नही है तथा अभिभाषक अपीलान्ट बहस के दौरान भी अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट को न्यायालय मे अपील पेश करने के लिए अपील को निर्धारित प्रारूप मे तथा अपील किस अधिनियम एवम् धारा के अन्तर्गत पेश की है उसका उल्लेख करना चाएिये तथा आदेश दिनांक 9.11.17 की प्रमाणित प्रति पेश करनी चाएिये। अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 9.11.17 की प्रति संबधीत न्यायालय से प्रमाणित नही कराकर किसी नोटरी से प्रमाणित कराकर अपील के साथ पेश की जो न्यायालय में नियमानुसार

..............................लगातार..

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपील संख्या 55/18 L.R Act

ग्राह्य किये जाने योग्य नही है। अभिभाषक अपीलान्ट एव अपीलान्ट को बहस के दौरान रूक रूक कर आवाज लगवाई गई बावजूद आवाज के वे न तो स्वय उपस्थित आये और न ही उनकी और से कोई वेधानिक प्रतिनिधी उपस्थित आये। इस प्रकार अपीलार्थी जो न्याय की वांछा करता है अनुपस्थित रहा है।

अतः यह अपील अदम हाजरी अदम पैरवी एवं क्षेत्राधिकार मे भी खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीनस्थ को निर्णय प्रति भेजी 12 / 31-1-19